

an>

Title: Need to give permission to sale farmers' land in tribal areas in Dhar Parliamentary Constituency.

श्रीमती सावित्री ठाकुर (धार): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा लोक सभा क्षेत्र धार आदिवासी क्षेत्र है। धार जिले की सरदारपुर तहसील में 568 हेक्टेयर भूमि, जिसकी वन विभाग ने तार लगाकर फेंसिंग कर दी है और उसे खरमोर पक्षी के लिए सुरक्षित की है। वहां करीब 14 ग्रामवासियों की ज़मीन अधिलेखित कर ली गयी है। उसमें से 35,000 हेक्टेयर भूमि पर उन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना इत्यादि और सरकार द्वारा कृषि की जो विभिन्न योजनाएं चलायी जा रही हैं, उनका भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उस भूमि को अगर वह किसान बेचना चाहे, तो उसके क्रय-विक्रय पर भी रोक लगी है और उसकी रजिस्ट्री पर भी रोक लगी है। उन्हें न तो बैंकों से ऋण दिया जा रहा है और उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि वहां से खरमोर पक्षी लुप्त हो चुके हैं। इन किसानों को उस ज़मीन की रजिस्ट्री करने और उसके क्रय-विक्रय करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON:

Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shrimati Savitri Thakur.